सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

संख्या– 562

07/08/2018

पटना–07 अगस्त, 2018 ::– आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कई एजेंडों पर मुहर लगाई है जो निम्नवत् है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के वर्दी भत्ता में वृद्धि कर उसे 5000/–(पाँच हजार) रूपये प्रति वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत श्री संजय कुमार, बिहार सचिवालय सेवा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी (वरीयता क्रमांक–2670), गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति प्रदान की गई। परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994–सहपठित –बिहार वित्त अधिनियम, 2011, 2013, 2014 एवं 2015 की विभिन्न धाराओं और उनके अन्तर्गत निर्मित अनुसूचियों में संशोधन तथा Ex-Showroom Price पर करारोपण की स्वीकृति प्रदान की गई।सामान्य प्रशासन विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत अतिथिगृह पटना के एनेक्सी भवन (जी+5), स्टाफ क्वार्टर (जी+3) एवं डोरमेट्री (जी+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹30.50 करोड़ (तीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। संसदीय कार्य विभाग के तहत षोडश बिहार विधान सभा के दशम्–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 189वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई।जल संसाधन विभाग के तहत कोसी बराज के उर्ध्वप्रवाह में 52 कि०मी० तक (नेपाल प्रभाग) तथा अधोप्रवाह में 125 कि०मी० तक (भारतीय प्रभाग) कोसी नदी का बाढ़ अवधि के पश्चात् प्रतिवर्ष, पाँच वर्षों तक, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (टोपोग्राफिकल सर्वे) कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 695.238 लाख (छः करोड़ पंचानवे लाख तेईस हजार आठ सौ) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2014 को निरस्त करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग के तहत दिनांक–18.10.2017 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं०–13 पर विचारोपरांत निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं०–755, दिनांक–20.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक–01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन वितरण प्राधिकार (बैंक/कोषागार) के स्थान पर महालेखाकार, बिहार को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ''बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली, 1957'' के विनियम–7(स) में संशोधन संबंधी अधिसूचना –प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित औकाफ के सम्पत्ति के विकास से संबंधित राज्य सम्पोषित 'बिहार राज्य वक्फ विकास योजना' एवं संबंधित मार्ग–निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामीण कार्य विभाग के तहतप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Nawada

जिला के Rajauli प्रमंडल में Package No-BR-25R-653, NAWADA-KUNJ HL Bridge over Sakri river at Nawada to Kunj road पर पुल जिसकी लम्बाई–636.96 मी० तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के निर्माण जिनकी प्राक्कलित राशि रू० 4046.451 लाख (चालीस करोड़ छियालीस लाख पैन्तालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र है, पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा किशनगंज जिले में Hybrid Annuity Mode के तहत् ग्रामीण पथों के निर्माण के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए अन्य जिलों की भाँति पारम्परिक तरीके से ''मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना'' अन्तर्गत ग्रामीण पथों के पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि विभाग के तहत किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9405.16 लाख (चौरानवे करोड़ पाँच लाख सोलह हजार) रूपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई। पथ निर्माण विभाग के तहत दरभंगा एवं खगड़िया जिलाधीन कुशेश्वर स्थान (SH-56) से फुलतोड़ाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 22.90 तक के विभिन्न पथांशों (संलग्न परिशिष्ट–I) में मिट्टी कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, बचाव कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, Compensatory Aforestation कार्य, Utility Shifting कार्य, भू–अर्जन कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु 26444.82 लाख (दो सौ चौंसठ करोड़ चौवालीस लाख बेरासी हजार) रूपये एवं पहुँच पथों सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु 10465.00 लाख (एक सौ चार करोड़ पैंसठ लाख) रूपये अर्थात कुल 36909.82 लाख (तीन सौ उनहत्तर करोड़ नौ लाख बेरासी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर संलग्न परिशिष्ट–I में योजनावार अंकित प्राक्कलित राशि हेतु पृथक्–पृथक् प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत धमदाहा नेहरू चौक से बिहारीगंज बॉडर भाया बरहारा कोठी पथ के कि०मी० 0.00 से 20.25 कि०मी० तक (कुल 20.25 कि०मी० पथांश) लम्बाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7906.38 लाख (उनासी करोड़ छः लाख अड़तीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, पटना सिटी अंतर्गत पभेड़ी मोड़–रेडबिगहा –बाँसबिगहा पथ (कि०मी० 0.00 से 7.15) एवं लिंक पथ पभेड़ा (कि०मी० 0.00 से 2.60) तक (कुल 9.75 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3049.89 लाख (तीस करोड़ उनचास लाख नवासी हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अंतर्गत रूपौली से विजयघाट भाया मोहनपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 24.50 तक (कुल 24.50 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 6339.62 लाख (तिरसठ करोड़ उनचालीस लाख बासठ हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत सुर्यापुर (NH-327E)– तुरकैली–उदाहाट पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 12.10 तक (कुल 12.10 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3639.70 लाख (छत्तीस करोड़ उनचालीस लाख सत्तर हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ प्रमंडल, पटना सिटी अंतर्गत SH-01 (मुसनापुर) से मसौढ़ी–नौबतपुर (छोटी टेंगरेला) पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.90 तक (कुल 26.90 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7753.28 लाख (सतहत्तर करोड़ तिरपन लाख अठाईस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं पथ प्रमंडल, छपरा अंतर्गत छपरा–मढ़ौरा पथ से NH-102 रायपुरा भाया हसनपुर–हुसेपुर–देवी

स्थान–मुंद–तरवार– बॉसडीह तक (कुल 18.40 कि०मी० पथांश) लम्बाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4298.26 लाख (बियालीस करोड़ अन्ठानवे लाख छब्बीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग वर्ष 2018 की अमरनाथ यात्रा के दौरान श्री अशोक महतो, पिता–खारो महतो, निवासी डुमरा मरांची, रामपुर, पटना की मृत्यु भूस्खलन के दौरान होने के आलोक में उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। गृह विभाग के तहत आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग के आरक्षी प्रयोगशाला के लिए गठित बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना एवं विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका –2014 की कंडिका 5(ii), 7. 1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.7 में संशोधन एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अतिरिक्त 31800.00 लाख (तीन अरब अठारह करोड़) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। विधि विभाग के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति डा० रवि रंजन को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली 2018 की स्वीकृति प्रदान की गई।

————————————————